**भारत सरकार**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
**पशुपालन और डेयरी विभाग**
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या- 425**
**दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न**

**अफ़्रीकी स्वाइन फीवर**

***425. श्री प्रदान बरुआ:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में हाल में अफ़्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) के प्रकोप से विशेषकर छोटे और पिछड़े किसानों सहित सुअर पालकों को आर्थिक नुकसान हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा असम जैसे सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में किसानों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**
**(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**श्री प्रदान बरुआ द्वारा अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) के संबंध में पूछे गए दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 425 के संबंध में भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क), (ख) और (ग): जी हां, राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) के कुछ प्रकोप हुये हैं। एएसएफ (ASF) संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार, संक्रमित क्षेत्र के एक किलोमीटर के भीतर सूअरों को मार देने (Stamping Out) तथा उनके चारे को नष्ट करने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के उप-घटक पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD) के तहत, संक्रमित क्षेत्र में सूअरों को मारने और पशु आहार नष्ट करने के लिए पशु मालिकों को मुआवजा देने के लिए राज्य की मांग के अनुसार 50:50 (केंद्र: राज्य) साझाकरण आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सरकार निर्धारित तरीके से प्रभावित किसानों को मुआवजा देती है जो इस प्रकार है:

i. प्रभावित किसानों को सूअरों को मारने और पशु आहार को नष्ट करने के लिए दिया जाने वाला मुआवजा इस प्रकार है: 15 किलोग्राम तक के सूअर के बच्चों के लिए 2200 रुपये, 15-40 किलोग्राम तक के ग्रोअर/वयस्क के लिए 5800 रुपये, 40-70 किलोग्राम तक के प्रजनन करने वाले बोर (Boar)/सो (Sow) के लिए 8400 रुपये, 70-100 किलोग्राम तक 12000 रुपये, 100 किलोग्राम से अधिक के लिए 15000 रुपये। इसके अलावा, पशु आहार के लिए 22.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मुआवजा दिया जाता है। राज्यों से प्राप्त मांग के अनुसार एएससीएडी के तहत केंद्र और राज्य के बीच 50:50 साझाकरण पैटर्न का अनुपालन किया जाता है।

ii. राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान, आठ राज्यों नामतः मेघालय, सिक्किम, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मिजोरम, आंध्र प्रदेश में एएसएफ का प्रकोप देखा गया, जिसमें 80 प्रभावित सूअरों की मृत्यु हो गई। वर्तमान में, यह रोग नियंत्रण में है और कोई सक्रिय मामला नहीं है। एएससीएडी के तहत वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक राज्यों को उनकी मांग के अनुसार 12.22 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा) की मुआवजा राशि जारी की गई है।

असम के संबंध में, वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक 6309 सूअरों को मारने के कारण प्रभावित हुये किसानों को मुआवज़ा देने के लिए एएससीएडी के तहत मांग के अनुसार राज्य को 2.25 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा) की राशि जारी की गई है। वर्ष 2025 (आज तक) के दौरान असम में एएसएफ का कोई प्रकोप दर्ज नहीं किया गया है।

राज्यों से प्राप्त मांग के अनुसार, पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एएससीएडी के अंतर्गत एएसएफ के लिए सबसे अधिक प्रभावित राज्यों को जारी की गई निधियों (मुआवजा) का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

सरकार ने एएसएफ रोग के प्रसार को रोकने के लिए बहुआयामी कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

i. एएसएफ के नियंत्रण, रोकथाम और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) तैयार और परिचालित की गई, जिसमें आवागमन नियंत्रण, 1 किमी के संक्रमित क्षेत्र में सूअरों को मार देना (Stamping Out), सफाई और कीटाणुशोधन, अपशिष्ट निपटान, सूअर को खिलाने पर प्रतिबंध, सूअर के मांस पर प्रतिबंध, बढ़ी हुई निगरानी जैसे उपाय शामिल हैं।
ii. सरकार एएससीएडी के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता दे रही है, जिसमें नियंत्रण और रोकथाम कार्य, निगरानी, क्षमता निर्माण, नैदानिक अवसंरचना की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैव सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाना और पशु स्वास्थ्य पहल को बढ़ावा देना शामिल है।
iii. विभाग ने पड़ोसी देशों/राज्यों से सूअरों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस और सीमा (Border) एजेंसियों के साथ उचित संपर्क बनाए रखने के लिए भी राज्यों को परामर्शी जारी की है।

iv. केंद्रीय टीमों के दौरों के माध्यम से जमीनी स्तर पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये टीमें राज्य स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (आरआरटी) के गठन की देखरेख भी करती हैं।

v. समय पर रिपोर्टिंग और प्रभावी नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करने के लिए, जंगली और फेरल सूअरों की आबादी में असामान्य मृत्यु दर की निगरानी और जांच करने के लिए वन विभाग के साथ समन्वय करना।

vi. आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, भोपाल को प्रभावित राज्यों में महामारी विज्ञान संबंधी जांच करने के लिए मोबिलाइज किया गया है। इसमें पीसीआर के माध्यम से एएसएफ परीक्षण और स्क्रीनिंग का विकेंद्रीकरण शामिल है, जिसे केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (CDDL), पांच क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं (RDDL), गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (GADVASU) लुधियाना, राज्य पशु रोग निदान प्रयोगशाला, गंगटोक और आईसीएआर-एनईएच क्षेत्र, मेघालय द्वारा सुगम बनाया गया है। इन प्रयासों में सीरो-निगरानी, सीरो-मॉनिटरिंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी शामिल है।

vii. पशु रोग के प्रकोपों के प्रबंधन और प्रतिक्रिया के लिए पशुधन रोगों हेतु संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) तैयार की गई है, जिससे त्वरित नियंत्रण और शमन सुनिश्चित हो सके।

viii. विभाग ने "महामारी संबंधी तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण" संबंधी महामारी निधि परियोजना प्रारम्भ की है जिसका उद्देश्य महामारी स्थिति के लिए तैयार रहना है।

**********

**अनुबंध-I**

**एएससीएडी के अंतर्गत एएसएफ के लिए पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सर्वाधिक प्रभावित राज्यों को जारी निधियों (मुआवजा) का विवरण (लाख रु. में)**

| क्र. सं. | राज्य का नाम | वर्ष 2022-23 | वर्ष 2023-24 | वर्ष 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | असम | 0.00 | 75.00 | 150.00 |
| 2 | हरियाणा | 0.00 | 32.23 | 0.00 |
| 3 | कर्नाटक | 43.75 | 187.50 | 150.00 |
| 4 | केरल | 0.00 | 88.80 | 153.22 |
| 5 | मध्य प्रदेश | 2.50 | 5.00 | 0.00 |
| 6 | महाराष्ट्र | 0.00 | 11.50 | 15.63 |
| 7 | मणिपुर | 0.00 | 7.50 | 63.25 |
| 8 | मेघालय | 0.00 | 12.50 | 0.00 |
| 9 | मिजोरम | 0.00 | 131.66 | 9.33 |
| 10 | राजस्थान | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 11 | सिक्किम | 37.51 | 40.25 | 0.00 |
| | **कुल** | **83.76** | **596.94** | **541.43** |

*****